/181648/2024

निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
इण्डेक्स नं. 1909
दिनांक 16.01.2024

संख्या–18/648/ XXIV-B-1/23-09(02)2022

प्रेषक,

अनिल कुमार पाण्डे
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून
16/1/24

18/01/2024

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक// जनवरी, 2024

विषय– तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों तदर्थ अवधि में वेतन वृद्धि दिये जाने, विनियमितीकरण किये जाने पर वेतन का पुनर्निधारण किये जाने तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–अर्थ 5(क)/326/02/अ0अनु0तदर्थ नि0/2021–22, दिनांक 06.04.2022 एवं पत्रांक–अर्थ 5(क)/18501/13/तदर्थ नि0/2023–24, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभागीय स्तर पर कतिपय विसंगतियां उत्पन्न होने एवं प्रकरणों का निस्तारण किये जाने में कठिनाई उत्पन्न होने के दृष्टिगत तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को तदर्थ अवधि में वेतन वृद्धि दिये जाने व विनियमितीकरण किये जाने पर वेतन पुनर्निर्धारित किये जाने तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना हेतु किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

02– उक्त के क्रम में अवगत कराया जाना है कि वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–210/दस–83–सं0–व्य0(सा0)–82 दिनांक 04 फरवरी, 1983 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में निम्न व्यवस्था है :–

''नियमित सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तो के अनुसार किये गये चयन के फलस्वरूप नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा की गयी हो। अल्प अवधि के लिए अवकाश अवधि के लिए अथवा तदर्थ रूप नियुक्ति पर किसी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा को 'नियमित सेवा' नहीं माना जायेगा और 'नियमित सेवा' की अवधि का आगणन उस तिथि/वर्ष से किया जायेगा, जिसके आधार पर किसी कर्मचारी को अपने संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारित की गयी हो... ...।

शिक्षा अनुभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–1558 दिनांक 18 अक्टूबर, 1997 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि <u>पेंशन के पात्र वही शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी होंगे जो नियमित रूप से चयनित हों तथा नियमित एवं पूर्णकालिक पद पर नियुक्त हों। तदर्थ सेवायें पेंशन हेतु नहीं जोडी जायेंगी।</u>

उक्त के अतिरिक्त ''उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018'' के नियम–1(2) (ख) तथा नियम–4 में पेंशन की अर्हता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

कृपया तद्नुसार संगत नियमों के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोक्त</u>।

भवदीय,

Signed by Anil Kumar Pandey
Date: 11-01-2024 16:47:21

(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव

2023/Finance Section-7

Bhanwesh Chandra

पेन्शन-नियमावली-राजाज्ञा

संख्या-१५५८/१५-२-९७/१००४(१)/९४

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
शिक्षा (२) अनुभाग

सेवामें,

शिक्षा निदेशक (मा०)
इ०९०, लखनऊ/इलाहाबाद

लखनऊ: दिनांक १८ अक्टूबर, १९९७

विषय- अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा पूर्व में राजकीय संस्थाओं/विभागों व अन्य अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में की गयी सेवाओं को पेन्शन निर्धारण हेतु जोड़ा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा पूर्व में राजकीय संस्थाओं/विभागों व अन्य अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में की गई सेवाओं को गणना पेंशन निर्धारण हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(क) सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा धारित पद विधिवत सृजित हो, तथा उन पदों पर नियुक्ति भी विधिवत और नियमित हो।

(ख) जिन संस्थाओं की पूर्व में की गयी सेवायें पेंशन हेतु जोड़ी जानी हो, वह पेंशनेबुल हो तथा पेंशन देने का दायित्व राज्य सरकार का ही हो।

(ग) यदि पूर्व सेवा के दौरान सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी का सी० पी० एफ० के प्रबंधकीय अंशदान प्राप्त हो गया हो उसके द्वारा प्रबंधकीय अंशदान मय ब्याज के राजकोष में जमा कर दिया जाय।

२- उपरोक्त शर्तों के अधीन परिषदीय प्राइमरी विद्यालय/अपर प्राइमरी विद्यालय में की गयी सेवाओं को भी प्रसंगत प्रयोजन हेतु जोड़ा जा सकता है। पेंशन के पात्र वही शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी होंगे जो नियमित रूप से चयनित हों। तथा नियमित एवं पूर्णकालिक पद पर नियुक्त हों। तदर्थ सेवायें पेंशन हेतु नहीं जोड़ी जायेंगी। इस प्रयोजन हेतु पद पर स्थाई होना आवश्यक नहीं है।

३- एक संस्था से दूसरी संस्था में नियुक्ति की स्थिति में अधिकतम व्यवधान उस अवधि तक का मानित किया जा सकता है जितनी अवधि का राजकीय कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण करने का समय देय होता है।

४- उपरोक्त शर्तों के अधीन पेंशन प्रकरणों पर निर्णय लिये जाने तथा पेंशन निर्धारण किये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित पेंशन स्वीकृति अधिकारी की होगी।

५- उपरोक्त सुविधा उन्हीं शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो इस शासनादेश के जारी होने की तिथि अथवा उसके बाद सेवा निवृत्तिक हों।

६- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-११/२९९१/वि-९७ दिनांक १५ अक्टूबर, १९९७ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह०/- अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा)

छोटा प्रति

१२/सन्तुष्ट ?/नवम्बर ९७

अनिर्णीय 2000
कलम एटरमीडिएट कालेज
आंवलखेत (अलीगढ़)
पो० गढ़ीराम

क्रम संख्या—1

संख्या वे० आ०-2-210/दस-83-सं०-अ० (सा०)-82

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

विषय :—समयमान वेतनमान की स्वीकृति ।

लखनऊ, दिनांक 4 फरवरी, 1983

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रदेश के विभिन्न राजकीय कर्मचारियों में विद्यमान वृद्धिरोध की समस्या (जहां हो) के निवारण हेतु संलग्नक-I के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदों के लिये दिनांक 1-7-82 से स्तम्भ-4 के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2—मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सेलेक्शन ग्रेड उन्हीं नियमित कर्मचारियों को स्वीकृत किये जायेंगे, जिन्होंने अपने पद के साधारण वेतनमानों में जिनका उल्लेख संलग्नक-II के स्तम्भ-2 से 4 में है उपर्युक्त संलग्नक-1 के स्तम्भ-5 में निर्धारित नियमित सेवा पूर्ण कर ली है । नियमित सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तों के अनुसार किये गये चयन के फलस्वरूप नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा की गयी हो । अल्प अवधि के लिये अवकाश अवधि के लिए अथवा तदर्थ रूप से नियुक्ति पर किसी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा को "नियमित सेवा" नहीं माना जायेगा और "नियमित सेवा" की अवधि का आगणन उस तिथि/वर्ष से किया जायेगा, जिसके आधार पर किसी कर्मचारी को अपने संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारित की की गयी हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सेलेक्शन ग्रेड की अनुमन्यता के लिए कर्मचारियों का चयन संवर्ग में ज्येष्ठता सूची के क्रम से किया जायेगा, अर्थात् कनिष्ठ कर्मचारी को, चाहे उसकी सेवा अवधि अधिक भी हो, तब तक सेलेक्शन ग्रेड नहीं स्वीकृत किया जायेगा जब तक उससे ज्येष्ठ कर्मचारी सेलेक्शन ग्रेड के लिये निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण नहीं कर लेता ।

3—उपर्युक्त सेलेक्शन ग्रेड प्रदान करने हेतु निम्न मापदण्डों की पूर्ति आवश्यक होगी :—

(1) कर्मचारी नियमित रूप से नियुक्त हो ।

(2) नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी ने अपने साधारण वेतनमान में कम से कम उतने वर्षों की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जिसका उल्लेख संलग्नक-I के स्तम्भ-5 में है ।

(3) सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति हेतु वही मानक अपनाये जायेंगे जो उस संवर्ग से पदोन्नति के लिये अपनाये जाते हैं ।

4—उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड में कर्मचारियों का वेतन उनके द्वारा कार्यरत वेतनमान में प्राप्त वेतन के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है,

यदि ऐसा कर्मचारी जो सेलेक्शन ग्रेड में कार्य करते हुए उसी वेतनमान में पदोन्नत होता है जो वेतनमान वह सेलेक्शन ग्रेड के रूप में पा रहा था तो पदोन्नति के पद पर भी उसका वेतन अगले उच्च क्रम पर पुनः निर्धारित किया जायेगा ।

5—संलग्नक-1 में उल्लिखित रु० 1,540-2,200 के वेतनमान में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त धारक को अंतिम वृद्धि के बराबर अर्थात् 75 रु० प्रतिमाह की द्विवार्षिक (दो वर्ष में एक बार) वेतनवृद्धियां, जिनकी संख्या 5 से अधिक न होगी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तभी स्वीकृत की जायेगी, जब उसने उक्त वेतनमान के अधिकतम क्रम पर कम से कम 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो ।

6—उपरोक्त आदेशों के अनुसार अर्ह कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति के आदेश सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे । परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तरीय अधिकारी से नीचे स्तर के है, सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति के आदेश जारी किये जायेंगे ।

7—उत्तर प्रदेश द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जिन कर्मचारियों का वेतन सेलेक्शन ग्रेड अथवा उच्च वेतनमान में दिनांक 1-7-1982 के पूर्व निर्धारित हो चुका है, उन्हें इन आदेशों के फलस्वरूप पुनः वेतन निर्धारण में दोहरा लाभ अनुमन्य नहीं होगा ।

भवदीय,

जगमोहन लाल बजाज,

सचिव ।

प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक–अर्थ 5(क)/3155-57/13/तदर्थ नि0 /2023–24 दिनांक 29 जनवरी,2024

विषय– **तदर्थ रुप से नियुक्त शिक्षकों को तदर्थ अवधि में वेतन वृद्धि दिये जाने, विनियमितीकरण किये जाने पर वेतन का पुनर्निधारण किये जाने तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरुप तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 181648/XXIV-B-1/23-09(02)2022 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 दिनांक 11 जनवरी,2024 के द्वारा तदर्थ रुप से नियुक्त शिक्षकों को तदर्थ अवधि में वेतन वृद्धि दिये जाने, विनियमितीकरण किये जाने पर वेतन का पुनर्निधारण किये जाने तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरुप तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना किए जाने के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त वर्णित शासनादेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि शासनादेशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करवाने हेतु सभी आहरण वितरण अधिकारियों को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

संलग्न–उक्तानुसार ।

भवदीय,

27/1/24

(महावीर सिंह बिष्ट)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पृ0स0 अर्थ 5(क)/3155-57/13/तदर्थ नि0 /2023–24 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर निदेशक(माध्यमिक/प्रारम्भिक)गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
2. समस्त वित्त अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक)उत्तराखण्ड।

27/1/24

(महावीर सिंह बिष्ट)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,उत्तराखण्ड,
देहरादून।